

तिब्बत की सन्धियाँ

न्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विभाग
द्रीय तिब्बती सचिवालय
ोंग, धर्मशाला (कांगड़ा) हि.प्र.
176215

भूमिका

वर्तमान शताब्दी की पूर्व-संध्या पर विश्व में जो घटनाएं घट रही हैं इनमें संपूर्ण मानवता आशा के क्षितिज पर अपने शान्ति प्रयासों के सूर्य को उगते हुए देख सकती है। परम पूज्य दलाई लामा कहते हैं: "इस शताब्दी के अन्तिम दशक में कदम रखते समय विश्व में अविश्वसनीय बदलाव आ रहे हैं। समय के इस बिन्दु पर खड़े हम तिब्बतवासी, तिब्बत तथा उसके भविष्य, चीन के साथ अपने सम्बन्धों की सोच से अछूते नहीं रह सकते।"

विगत में भारतीय जनता से हमें अपार स्नेह, तिब्बत स्वाधीनता संघर्ष को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे भारतीय भाई बहन हजारों हजार पत्र लिख कर, ज्ञापन भेज कर हमें बताते रहे हैं कि किसी भी राष्ट्र द्वारा एक असहाय, शान्तिप्रिय या छोटे राष्ट्र पर बलात् कब्जा कर लेने से, वहां पर लाखों की संख्या में अपनी जनसंख्या बसा देने से इतिहास बदल नहीं जाया करता जैसा की चीनी नेतागण सोचते रहे हैं। लोकतन्त्र की मांग करने वाले अपने हो मासूम युवा-छात्रों को उन्होंने जिस निर्ममता से मार डाला उससे विश्व को विश्वास हुआ कि चीन तिब्बत में कैसी घोर यातनाओं भरा दमन चक्र जारी रखे हुए है। मार्शल-लॉ हटाने के बाद भी चीन ने तिब्बत में अब ऐसी स्थितियां बना दी हैं जो मार्शल-लॉ से कहीं भयानक तथा अमानवीय हैं। फिर भी परम पूज्य दलाई लामा कहते हैं, "इन सब बातों के बावजूद भी मैं सोचता हूं कि चीनी नेताओं के पास अभी भी समय है कि वे अपने को समय के अनुरूप बदलें, विनय विवेक एवं अहिंसा की आवाज़ को सुनें।"

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय भाई बहनों, विश्व के अनेक राष्ट्रों से मिल रहे इस विराट् समर्थन के बलबूते पर ही परम पूज्य दलाई लामा के नेतृत्व में चल रहा तिब्बत-स्वाधीनता-संघर्ष अपने अति महत्वपूर्ण चरण में आ पहुंचा है। गर्व इस बात का है कि भारत की जनता, विश्व के अन्य राष्ट्रों के लाखों बहन भाई सत्य एवं अहिंसा ही पर आधारित हमारे संघर्ष में सदैव विश्वास

रखते रहे हैं हमें हर क्षण प्रेरणा देते रहे हैं। अपनी सरकारों को, संयुक्त राष्ट्र संघ को, चीनी नेता गणों को पत्र, ज्ञापन भेजते रहे हैं। इतने सारे समर्थन और सहयोग से उगते अपने दायित्व का निर्वाह मैं इस लघु पुस्तिका के प्रकाशन से भी कर रहा हूं। इसे पढ़ कर आप जानेंगे कि तिब्बत एक स्वतन्त्र एवं महान् राष्ट्र की हैसियत से अपने पड़ोसियों के साथ महत्वपूर्ण, सर्वहितकारी विषयों पर अनेक समझौते, सन्धियां सैंकड़ों वर्षों से करता आया है। यह सन्धियां, यह लघु पुस्तिका ऐसा प्रमाण हैं जिन्हें चीन केवल इस लिये नहीं देखता, इन पर बात नहीं करता न करने देता है क्योंकि वह इन्हें झुठला नहीं सकता।

'तिब्बत की सन्धियां', ऐतिहासिक सत्य की ऐसी तलवार है जिसे हाथ में थाम आप तिब्बत - स्वाधीनता-संघर्ष के अन्तिम चरण में निर्भय उतर सकेंगे, हमें अपना पूर्ण सहयोग एक बार फिर दे सकेंगे, आपकी प्रतिक्रिया जानकर हमारे मनोबल में वृद्धि होगी साथ ही यह प्रकाशन सार्थक होगा, टाशी देलेक।

□ **सोनम तोपग्याल**
सचिव
इन्फर्मेशन एवं इंटरनेशनल रिलेशंस विभाग, केन्द्रीय तिब्बती सचिवालय, गंगचेन किशोंग, धर्मशाला (हि० प्र०)

चीन तिब्बत सन्धि 821-23 ईसवी

[ल्हासा स्थित पाषाण-स्तूप के पश्चिम दिशा वाले चेहरे पर खुदे विवरण का अनुवाद ।]

तिब्बत के महान् राजा, दैविक प्रतिनिधि ख्री राल्पाचेन तथा चीन के महान् राजा ह्वाँग ते (जो आपस में चाचा भतीजा भी है) अपने शासित प्रदेशों के सम्बन्धों के बारे में विचार विमर्श कर एक महत्वपूर्ण सन्धि द्वारा इस समझौते को पारित करने का निर्णय लेते हैं। यह समझौता भविष्य में अटल रहे इस उद्देश्य से सभी देवताओं तथा व्यक्तियों को इसके बारे में बताया गया उन्हें साक्षी बनाया गया है। भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इस समझौते को सदैव याद रखें तथा इसे एक उत्सव की तरह मनाती रहें इसलिये इस समझौते को पाषाण-स्तूपों पर अकित कर दिया गया है।

तिब्बती राजा, दैविक प्रतिनिधि ख्री राल्पाचेन तथा चीन के राजा ह्वांग ते जिनमें चाचा भतीजा का सम्बन्ध भी है ने स्वयं अपनी संयुक्त बुद्धिमता से जान लिया है कि वर्तमान एवं भविष्य के लिये क्या हितकारी होगा क्या हानीकारक। सो बिना किसी भेदभाव के तथा सभी के हितों के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हुए उन्होंने स्थाई शांति को ध्यान में रख कर मंत्रणाएं की तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दोनों राष्ट्रों की जनता को सन्तुष्ट एवं सुखी रखना है, पुरानी मैत्री के सम्बन्धों को ताज़ा करना है। तिब्बत व चीन, दोनों राष्ट्र एक दूसरे की उन्हीं सीमाओं को मानेंगे जो प्राचीन काल से चली आ रही एवं मान्य हैं। पूर्व दिशा का सारा क्षेत्र जिधर चीन है महान् राष्ट्र चीन का रहेगा तथा पश्चिम दिशा का सारा क्षेत्र जिधर तिब्बत है महान् राष्ट्र तिब्बत का रहेगा। दोनों राष्ट्रों की सीमाओं पर कभी कोई आक्रमण नहीं होगा, कभी कोई युद्ध नहीं होगा तथा कोई भी एक दूसरे की भूमि पर कब्ज़ा नहीं करेगा। यदि दोनों की सीमाओं के अन्दर किसी संदिग्ध व्यक्ति को पाया जाएगा, उसे तुरन्त गिरफ्तार कर पूछताछ की कारवाई की जाएगी जिसमें दोनों पक्षों के सीमान्तक

अधिकारी भाग लेंगे। मामला निपट जाने पर उस व्यक्ति को उसके वास्तविक क्षेत्र में पहुंचा दिया जाएगा।

अब जबकी दोनों राष्ट्रों में यह महान् सन्धि सम्पन्न हो चुकी तथा दोनों में मेल-मिलाप है सो चाचा भतीजे में परस्पर पत्राचार जारी रखना भी आवश्यक है। इसलिए दोनों पक्षों के राजदूत पुराने परम्परागत रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। पुराने रिवाजों के अन्तर्गत उनके घोड़े, त्सांग कुनयोग नामक स्थान जो तिब्बत-चीन सीमा पर है, पर बदले जाया करेंगे। त्से झुग शेग के आगे जहां से चीनी क्षेत्र आरम्भ हो जाता है, चीनी अधिकारी सभी सुविधाएं उपलब्ध करवायेंगे, उसी तरह पश्चिम दिशा में त्सेग शू हयीवान नामक स्थान जहां से तिब्बती क्षेत्र आरम्भ होता है, तिब्बती अधिकारी सभी सुविधाएं जुटाया करेंगे। चाचा तथा भतीजा के चले आ रहे सम्बन्धों के आधार पर व्यवहारिक शिष्टाचार तथा सम्मान बनाए रखना होगा। दोनों राष्ट्रों के बीच कोई धूआं या धूल कभी न उड़े इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। यकायक तनाव उत्पन्न करने वाला या शत्रुता पैदा करने वाला कोई भी शब्द सीमान्तक अधिकारियों द्वारा कभी भी नहीं बोला जाएगा। सभी सहजता से सुखपूर्वक जीवन निर्वाह बिना किसी शंका तथा भय के करेंगे। उनकी भूमि उनकी होगी तथा उनकी शैय्या उनकी। शान्ति में रहते हुए हम सब खुशियों का दैविक आर्शीवाद दस हज़ार पीढ़ियों तक पाएगे। सुख शान्ति, प्रार्थना की ध्वनी हर उस स्थान तक पहुंच पाएगी जहां जहां सूर्य तथा चन्द्रमा की किरणें पहुंच पाती हैं। और **यह सन्धि क्योंकि एक महान् युग की शुरूआत करती है जिसमें तिब्बती अपने राष्ट्र तिब्बत में, चीनी अपने राष्ट्र चीन में, सदैव सुखपूर्वक रहेंगे इसलिये इसे कभी भी बदला नहीं जाएगा।** तीनों रत्नों, सभी देवतागण, सूर्य एवं चन्द्रमा, अन्य सभी नक्षत्र एवं तारागण को साक्षी मान कर इस सन्धि के महान् उद्देश्यों को सौम्य एवं सहज शब्दों में रचा गया है तथा इसे निर्णयात्मक घोषित किया गया है।

यदि कोई पक्ष इस सन्धि का उल्लंघन करता है, चाहे वह चीन है या तिब्बत जो भी इस सन्धि के विपरीत कोई कारवाई करता है,

(शेष अन्तिम आवरण के अन्दर)

तिग्मोसगांग में लद्दाख और तिब्बत के मध्य शांति सन्धि (1684)

द्रुग्पा (लाल संप्रदाय) के सर्वज्ञ लामा मीफाम वांगपो जो पहले के जन्मों में सदा लद्दाख के राजाओं के संरक्षक लामा रहे हैं (पीढ़ी दर पीढ़ी), शांति संधि बनाने के लिए ल्हासा से ताशिश-गांग भेजे गए क्योंकि इस सर्वज्ञ के द्वारा लिए गए निर्णय को मानने से लद्दाखी राजा कभी इन्कार नहीं कर सकते थे। यह निम्नवत् मंजूर हुआ कि :

1. प्रारंभ में जब राजा स्कयेद-ईदा-न्यिमा-गोन ने अपने तीनों पुत्रों को एक साम्राज्य दिया था, जो सीमाएं निर्धारित हुई थीं वे ही कायम रहेंगी।

2. न्गारीस-खोरसुम ऊन व्यापार क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति सिर्फ लद्दाखियों को दी जाएगी।

3. लद्दाख दरबार के राजकीय व्यापारी को छोड़, लद्दाख के किसी अन्य व्यक्ति को रुदोक में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।

4. देयवा झुंग (ल्हासा के महान् लामा) के द्वारा एक राजकीय व्यापारी प्रतिवर्ष चाय से लदे 200 घोड़ों समेत ल्हासा से लद्दाख भेजा जाएगा।

5. हर तीसरे वर्ष एक "लो-छाक" को उपहारों के साथ लेह से ल्हासा भेजा जाएगा। साधारण लामाओं के लिए उपहारों की गुणवत्ता एवं कीमत के संबंध में कोई विशेष बात नहीं है पर लाबरांग छाकजोट को निम्नलिखित वस्तुएं दी जानी चाहिएँ जैसे (क) स्वर्ण धूलि-1 झो के वजन का दस गुणा (ख) केसर एक श्रांग (या थूरश्रांग) के वजन का दस गुणा (ग) यारकंद के सूती कपड़े-छह (घ) बारीक सूती वस्त्र—एक। लो-छाक मिशन के सदस्य जब तक ल्हासा में रहेंगे उन्हें राशन मुफ्त

मिलेगा साथ ही यात्रा के लिए उन्हें 200 माल ढोने वाले पशु, 25 सवारी वाले टट्टू और 10 नौकर दिए जाएँगे। यात्रा के जिन हिस्सों में आबादी नहीं है वहां मिशन के इस्तेमाल हेतु तम्बू भी दिए जाएँगे।

6. न्गारीस-खोरसुम देश सर्वज्ञ द्रुक्पा लामा मीफाम-वांगपो को दिया जाएगा और बदले में देयवा झुग लद्दाख के राजा को तीन अन्य ज़िले देगा (वृहत तिब्बत में)।

7. न्गारीस-खोरसुम के राजस्व को बटर-दीप प्रज्वलन की कीमत चुकाने और ल्हासा में होने वाले धार्मिक समारोहों में व्यय करने के उद्देश्य से अलग रखा जाएगा।

8. लेकिन लद्दाख का राजा, मोन्थसर (मिन्सार) का गाँव (या ज़िला) जो न्गारीस-खोरसुम में है अपने अधीन में रखता है ताकि वह वहाँ स्वतत्रा से रहता रहे और वह उस क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को कांङ-री (कैलाश-पर्वत) के बटर दीप, और मानसरोवर की पवित्र झील व राकस ताल के देख रेख हेतु खर्च के लिए रख सकता है।

संधि के पहले खंड का हवाला देते हुए मोटे तौर पर ये व्याख्या की जा सकती है कि राजा स्कयेद-ईदा-न्यिमा-गोन ने अपने पुत्रों को निम्नलिखित क्षेत्र दिए :-

(क) सबसे बड़े पुत्र को -अब लद्दाख और पुरिग नाम से जाने वाले देश जिसका प्रसार पूर्व में हैनले से पश्चिम में जोज़िला दर्रे तक है और जिसमें रुदोक और गोग्पो का स्वर्ण मँडल भी शामिल है।

(ख) दूसरे पुत्र को—गू गे, पूरांग और ऐसे अन्य छोटे ज़िले।

(ग) तीसरे पुत्र को—ज़ांस्कार स्पिति और अन्य छोटे ज़िले।

नोट्स

1. स्त्रोत:—इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेश्नल लॉ, (दि साइनो इंडियन बाँऊड्री) (नई दिल्ली 1962) पृष्ठ 1—2.

लद्दाख का समझौता पत्र 1842

(तिब्बती में लिखे गए मूल पत्रों का अनूदित रूप)

श्री खालसाजी अप्सरानी श्री महाराजा, ल्हासा प्रतिनिधि ालोन सुरखाँङ, निरीक्षक दापोन पेशी, सेनाओं के कमांडर बालाना, लाम कहानद्दीन का प्रतिनिधि और व्याख्याता अमीर शाह ने साथ ठ कर यह पत्र लिखा है। "हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि ातीत की लड़ाई को लेकर हमारे अन्दर कोई दुर्भावना नहीं है। ोनों राजा सदा मित्र रहेंगे। कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह और ल्हासा के लामा गुरु (दलाई लामा) में परस्पर सबंध अब स्थापित ो गया है। भगवान् (कुंचोक) को साक्षी मान कर महाराजा साहब ाचीन सीमाओं को ही कायम रखने का वादा करते हैं, जिसकी खरेख दोनों पक्षों द्वारा युद्ध के बिना ही होगी। भूतपूर्व ाजाओं के उत्तराधिकारीगण जो लद्दाख से तिब्बत भागे, अब ौटेंगे और उन्हें पहले वाला दर्जा प्रदान किया जाएगा। लद्दाख हर वर्ष ल्हासा जाने वाले राजदूत को श्री महाराजा द्वारा नहीं ोका जाएगा। लद्दाख और तिब्बत के बीच व्यापार पहले जैसा ालेगा। तिब्बती सरकार के व्यापारी लद्दाख में आने पर पहले की रह मुफ्त यातायात व अन्य सुविधाएं पाएगे और लद्दाख के राजदूत को दले में यही सुविधाएं ल्हासा में दी जाएंगी। लद्दाखी भगवान् कुंचोक) के समक्ष ये शपथ लेते हैं कि वे तिब्बती क्षेत्र में किसी नई ामस्या को जन्म नहीं देंगे। हमने भगवान् को साक्षी मान कर यह ाहमति बनाई है कि श्री महाराजा साहब और ल्हासा के लामा गुरु दलाई लामा) एक ही परिवार के सदस्यों की भाँति रहेंगे। हमने ापरोक्त बातें आषाढ़, द्वितीय संवत 1899 (सितंबर 17, 1842) ो लिखी हैं।"

☐ **वजीर, दीवान,** बालाना और **अमीर शाह** द्वारा मुहरबद्ध

तिब्बत का समझौता पत्र, 1842

यह समझौता ल्हासा अधिकारियों, श्री महाराजा साहिब, महाराजा गुलाब सिंह के दोस्ती के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है । जल-चीता वर्ष (17 सितम्बर 1842) के आठवें महीने के तेहरवें दिन को ल्हासा प्रतिनिधि कालोन सुरखाँङ, निरीक्षक दापोन पेशी, श्री राजा साहिब दीवान हरि चन्द और वज़ीर रत्न साहिब, श्री महाराजा साहब के प्रतिनिधि कुंचोक (ईश्वर) को साक्षी मान कर मित्रतापूर्वक बैठे । तिब्बतियों और लद्दाखियों की लम्बे दोस्ती को सुदृढ़ करने के लिए यह दस्तावेज़ बनाया गया है। हम लोग किसी भी प्रकार से एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाने और अपने क्षेत्र के हितों को ही देखने के मुद्दे पर सहमत हुए हैं। चाय और कपड़े के व्यापार को पहले वाली शर्तों पर जारी रखने और तिब्बत आने वाले लद्दाखी व्यापारियों को नुकसान न पहुंचाने पर भी हम सहमत हुए हैं । यदि हमारा कोई भी व्यक्ति आपके देश में विचरता है उन्हें संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ल्हासा अधिकारियों और श्री महाराजा के बीच पनपे अन्तरों को हम भूलेंगे । आज का यह समझौता ठोस रूप से सदा ही कायम रहेगा। कुंचोक (भगवान्), कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील और खोचाग जोवो (भगवान्) इस समझौते के साक्षियों के रूप में बुलाए गए हैं ।

☐ **कालोन सुरखांङ** एवं **दापोन पेशी** के द्वारा मुहरबद्ध

नोट्स

स्त्रोत :—डब्ल्यू. डी. शाक्पा, तिब्बत : एक राजनीतिक इतिहास (न्यू हैवेन, 1967) पृष्ठ 327-328 ।

तिब्बत और कश्मीर की सन्धि, 1852

[दलाई लामा द्वारा नियुक्त दो गारपन (क्षेत्रिय गवर्नरों) तथा कश्मीर के महाराजा के प्रतिनिधियों के बीच निश्चित हुई]

(यह जल-सांड वर्ष अर्थात 1852 के माह का तीसरा दिन है।)

चाय व्यापार में कमी के कारण लद्दाखी लोगों के द्वारा तिब्बत सरकार के व्यापारी केसांङ-ग्युरमे को जब परंपरागत यातायात पशु देने से इन्कार हुआ तो गारपोन्स ने नेरपा को इस मामले में और लद्दाख-तिब्बत सीमा विवाद की जांच के लिए नियुक्त किया। तदनूसार लद्दाख थानादार साहब बस्तीराम, कालोन रिनजिन और साथ में उनके नौकर येशे वांग्याल के मध्य एक मुलाकात की व्यवस्था हुई और निम्नवेत् एक प्रस्ताव बनाया गया :

भविष्य में तिब्बत के सरकारी व्यापारियों को बिना किसी अवरोध के लद्दाखी आवश्यक यातायात सुविधाएं देंगे। संयुक्त ते-जिस [यह एक तिब्बती पदवी है जिसे उस समय के गारपोन्स धारण करते थे] सरकार से यह अनुरोध करेंगे कि तिब्बत में वार्षिक उपहार ले जाने के लिए सिर्फ कुशल व बुद्धिमान व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाए। तिब्बत के सरकारी व्यापारियों को साजो सामान व नौकर प्रदान करेंगे और पुराने रिवाजों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर सहयोग भी देंगे। गारपोन्स उस आशय का आदेश पारित करेंगे कि न्गारी पहुंचने वाली चाय और ऊन सिर्फ लद्दाख भेजे जाएँगे कहीं और नहीं। लद्दाख और तिब्बत के बीच सीमा पहले ही की तरह रहेगी। नमक और ऊनी माल के निर्यात एवं जौ के

आटे पर तथा जौ के आयात पर रुदोक के लोगों द्वारा किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। कोई भी पक्ष दोनों संबंधित पक्षों द्वारा निर्धारित नियमों, चुंगी करों एवं बाज़ार आपूर्ति की अवहेलना नहीं करेगा। उपरोक्त नियम नमक का निर्यात करने वाले रोंग्पा [घाटी में रह रही जातियां] लोगों पर भी लागू होगा। रोंग से होकर उत्तर एवं पश्चिम से आने वाले यात्रियों को थानादार द्वारा पासपोर्ट दिया जाएगा। पासपोर्ट में वर्णित आयात-निर्यात करों के प्रति वे जवाबदेह है। यदि कोई अपना पासपोर्ट•दिखाने में असमर्थ हो तो साधारण स्थिति में लिए जाने वाली राशि का पचास गुना उससे लिया जायेगा। कस्टम अधिकारियों द्वारा लगाए ऐसी किसी भी वसूली के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं होगी। सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर निर्णय के समय शासन दोनों पक्षों के रिवाजों एवं व्यवहारों को ध्यान में रखेगा, तथा यातायात आपूर्ति से सबन्धित पुराने नियमों को देखेगा। सरकारी व्यापारियों के पशुओं के चरने के लिए आरक्षित चरागाहों पर पशुओं को चराने पर प्रतिबंध नहीं होगा लेकिन लोगों को बाहर से लाकर पशुओं को उन चरागाहों में चराने का अधिकार/ अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार दोनों पक्षों के लोग तिब्बत और शिग्पा (कश्मीरी) के मध्य इस संधि का दृढ़ता से पालन करेंगे और दो सीमांतक अधिकारी तदनुसार परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे।

नोट्स

स्त्रोत:— दि इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, द साइनो इडियन बाउंडरी (नई दिल्ली, 1962) पृष्ठ 4-5। यह संधि थानेदार बस्तीराम, लद्दाख के कालोन रिनजिन और गारतोक में तिब्बती गर्वनरों के दो मातहतों के द्वारा हस्ताक्षरित व मुहरबद्ध की गई थी; येशे वांग्याल द्वारा साक्षी दी गई थी।

नेपाल और तिब्बत के मध्य संधि, 1856

संधि का नेपाली भाषा में प्रतिरुप चैत्र सुदी 3, 1912 [वी. ई.] अर्थात मार्च 1856 से अनूदित

गोरखा सरकार के भरदारों (कुलीन) एवं भोट (तिब्बत) की सरकार ने स्वेच्छा से इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। यदि इस आधार पर युद्ध होता है कि संधि के एक पक्ष ने इस 'अहद' (प्रस्ताव) का अतिक्रमण किया है तो अहद का अतिक्रमण करने वाले को ईश्वर के खिलाफ कार्य करने वाला समझा जाएगा। हमने ईश्वर को साक्षी मानकर इस 'अहद' पर हस्ताक्षर किए हैं।

संधि के खंड

1. प्रथम कुरा (धारा 1)—भोट सरकार गोरखा सरकार को 10000 रूपये की वार्षिक सलामी देगी।

2. दूशरो कुरा (धारा 2)—गोरखा सरकार यथासंभव तिब्बत की मदद करेगी यदि किसी विदेशी ताकत द्वारा उस पर हमला होगा।
3. तेशरो कुरा (धारा 3)—भोट को जगत महसूल (चुंगी कर) नहीं लगाना है जो तिब्बती क्षेत्र में अब तक गोरखा लोगों पर लगता आया है।

4. चौथों कुरा (धारा 4)—संधि की शर्तें पूरी होते ही गोरखा सरकार कुटी, केरोंग और झुग के अधिकृत क्षेत्र से अपनी सेना हटा लेगी और युद्ध के दौरान बनाए गए बंदी सिपाहियों, भेड़ों और याकों को तिब्बतियों को लौटा देगी। बदले में तिब्बतियों को भी गोरखों की तोपें और उन सिख युद्ध बंदियों को वापस करना है जो भोट और डोगरा शासक के बीच 1841 में हुए युद्ध में बंदी बनाए गए थे।

5. पाँचों कुरा (धारा 5)—गोरखा को पहले की तरह तिब्बत में एक 'नायक' के स्थान पर भरदार (दूत) स्थित करने की अनुमति दी जाती है।

6. छैयौं कुरा (धारा 6) – गोरखा भरदार को ल्हासा में जवाहरातों, गहनों, अनाजों, एवं वस्त्रों के व्यापार के अधिकार के साथ कोठी (ट्रेड मार्ट) रखने की अनुमति दी जाती है।

7 सातौं कुरा (धारा 7)—भोट में गोरखा भरदार को गोरखा और गोरखा कश्मीरियों के बीच झगड़ों को निपटाने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन गोरखा लोगों और भोटों के बीच झगड़े का निपटारा दोनों सरकारों के प्रतिनिधि करेंगे। नेपाली भरदार को भोटों के परस्पर झगड़ों को निपटाने की अनुमति नहीं है।

8. आठौं कुरा (धारा 8)—गोरखा और भोट दोनों सरकारें अपने क्षेत्र में बचकर घुस आए अपराधियों का विनिमय करेंगी।

9. नवौं कुरा (धारा 9) –गोरखा व्यापारियों के जीवन एवं संपत्ति की रक्षा भोट सरकार करेगी। यदि भोट लुटेरे गोरखालियों की लूटी हुए वस्तुओं को पुनः लौटा नहीं सके तो लूट की भरपाई भोट सरकार करेगी। गोरखा सरकार भी अपने क्षेत्र में इस दायित्व को निभाएगी और गोरखा के देश में भोटों की संपत्ति को पूर्ण संरक्षण देगी।

10. दसौं कुरा (धारा 10)—गोरखा और भोट सरकार को उन लोगों के जान, माल को संरक्षण देना है जिन्होनें युद्ध काल में शत्रुओं की मदद की।

नोट्स

1. स्त्रोतः पी. उप्रेती, नेपाल-तिब्बत रिलेशन, 1850-1930 (काठमांडू 1980) पृष्ठ 213-214। यह संधि विदेश मंत्रालय, काठमांडू में सुरक्षित रखे अहद की एक कॉपी से निकाली गई है। देखें न्यू अननम्बर्ड पोका (पैकट) शीर्षक "कॉरेसपोंडेंस विद चाइना एँड ल्हासा". दि सब-पोका (भो. 5) जिसमें संधि निहित है, जिसके लेबल पर : "दि कनवरसेशन बिटवीन महाराजा जंगबहादुर राणा एँड द रेज़ीडेन्ट रैम्से" लिखा है।

चीनियों और तिब्बतियों के बीच संधि

12 अगस्त 1912

(तिब्बती वर्णन से अनूदित)

तीन सूत्री प्रस्तावों पर वार्त्ता करने के लिए गोरखा साक्षी की उपस्थिति में चीनी और तिब्बती प्रतिनिधि मिले। इस प्रस्ताव को 6 वें माह के 29 वें दिन को अम्बांन लेन और चुंग द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब के रुप में दलाई लामा द्वारा स्वीकार किया गया था। 30 तारीख को पक्षों ने सावधानीपूर्वक बातचीत की और त्रि सूत्री प्रस्ताव को चीनी, तिब्बती और नेपाली भाषाओं में पास कर उन पर हस्ताक्षर करने और मुहर लगाने का निर्णय लिया।

सूत्र 1 —ल्हासा के दाब्शी और सेलिंग क्षेत्रों में फील्ड गन और मैक्सिम गन समेत जितने भी शस्त्र व साज़ोसामान चीनियों के कब्ज़े में हैं उन सबको दोनों पक्षों एवं साक्षी की उपस्थिति में सीलबंद करके तिब्बत सरकार को सौंप दिया जाएगा। चीनी अधिकारियों एव सैनिकों के प्रस्थान से पहले, पन्द्रह दिनों के भीतर, सभी हथियार व साजो सामान याब्शी लांग-दुन मकान में रख दिए जाएँगे, गोलियाँ और बारुद डोरिंग हाऊस में इकट्ठी और जमा की जाएँगी। पन्द्रह दिनों की सीमा के समाप्ति पर सभी हथियार डोरिंग हाऊस में रख दिए जाएँगे और साक्षी के रुप में गोरखा दूत वहां की सुरक्षा व्यवस्था करेगा।

सूत्र 2—पन्द्रह दिनों के भीतर चीनी अधिकारी व सैनिक तिब्बत छोड़ देंगे। तीन किश्तों में प्रस्थान की उनके द्वारा दी गई तिथियों के अनुसार तिब्बती हर टुकड़ी के साथ अपना एक अधिकारी नियुक्त करेंगे और उनके लिए मालवाहक पशुओं तथा सवारी के लिए टट्टूओं के आपूर्ति की व्यवस्था करेंगे। उनसे स्थानीय कीमतों के

अनुसार पर्याप्त भुगतान लेकर तिब्बत में पढ़ावस्थलों से सीमा तक चीनियों को राशन जैसे चावल, आटा, त्सम्पा, मांस, मक्खन व चाय की आपूर्ति की जाएगी । मालवाहक पशुओं और सवारी के लिए टट्टूओं की व्यवस्था बिना देरी के की जाएगी। चीनी लोग उन पशुओं को जर्बदस्ती सीमा के पार नहीं ले जाएँगे ।

सूत्र 3— दोनों प्रतिनिधि शस्त्रास्त्र रखने के उद्देश्य से कल याब्शी हाउस से समस्त चीनी अधिकारियों एवं सैनिकों को तथा डोरिंग हाउस से तिब्बती सैनिकों को हटा देंगे ।

ल्हासा के दाब्सी और सेलिंग क्षेत्र में चीन सरकार के कब्ज़े में जो भी शस्त्रास्त्र हैं, चीन के निजी व्यापारियों के पास भी जो शस्त्रास्त्र हैं उन्हें अम्बांन लेन व चुंग के द्वारा 6 वें माह के 29 वें दिन को लिखे गए पत्र के अनुसार सातवें माह की पहली तिथि को दोनों पक्षों एवं साक्षी के समक्ष एक सूची के साथ पेश किया जाएगा। शस्त्रास्त्रों का कोई भी हिस्सा बेचा, दिया, छिपाया या फेंका नहीं जाएगा। साक्षियों की सलाह के अनुसार अम्बांन लेन और चुंग की अपनी सुरक्षा के लिए साठ राइफल व गोली सिक्का लेकर चलने की अनुमति दी जाएगी। शेष सभी शस्त्रास्त्र डोरिंग व याब्शी हाउसों में रखे जाएंगे जिन्हें दोनों प्रतिनिधियों व साक्षियों द्वारा सीलबंद किया जाएगा। दोनों प्रतिनिधि व साक्षी उपरोक्त वर्णन के अनुसार गार्ड देने की व्यवस्था करेंगे। सभी शस्त्रास्त्र, फील्ड गन, मैक्सिम गन जिन्हें ल्हासा दाब्शी, सेलिंग से चीनी सरकार व निजि व्यापारियों से इकट्ठा किया गया है बिना दिए, बेचे, छिपाए या छोड़े हुए जमा किया जायेगे। निजी चीनी व्यापारियों के पास समस्त शस्त्रों की बाकायदा सूची बनाई जाएगी और उनकी वापसी संबंधित तथ्यों पर प्रतिनिधि व साक्षी बातचीत करेंगे ।

यदि कोई पक्ष वर्णित प्रावधानों का अतिक्रमण करता है तो दोनों पक्षों एव साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित व मुहरबद्ध इस संधि को निष्क्रिय माना जाएगा ।

दलाई लामा के संयुक्त प्रतिनिधियों की मुहर
शेरता थितुल और शेडोन तांग्याल
अम्बांन लेन और चुंग के प्रतिनिधियों की मुहरें
लुचांग क्रांग लुंगरिन
यूलजी लू लांगरिन
यू योन क्रेफू हई क्रु
थुंग क्रिकुंग बुहु हई
क्रेफू वांग चिऊजिन
श्रु फून
लु लु कोन कोन
न्गांन ख्रू
पांच श्रियों के साक्षियों की मुहरें
गोरखा दरबार का प्रतिनिधि
मेजर कैप्टन जीत बहादुर खतरी छेतरी
लेफ्टिनेंट लाल बहादुर बसन्यात छेतरी
दिथ्था कुल प्रसाद उपाध्याय
सूबेदार रत्न गम्भीर सिंह खत्री छेतरी
जल-मूशक वर्ष के 6 वें महीने का 30 वां दिन (12 अगस्त 1912)।

नोट्स

स्त्रोत : राम राहुल, "दि 1912 ऐग्रीमेंट बिटवीन दि चाइनीज़ एंड तिब्बतन्स," तिब्बत रिव्यू (फरवरी 1979) पृष्ठ 20-21 । इस संधि का विवरण स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज़, नई दिल्ली भारत के ग्रंथालय में रखा है । एफ. ओ. 535/16, नं. 258 इंक्लोज़र 4 से तुलना।



चीनियों एवं तिब्बतियों के मध्य 14 दिसम्बर 1912 का समझौता

चीनियों और तिब्बतियों में लड़ाई के कारण चीनियों के प्रतिनिधि एवं तिब्बतियों के प्रतिनिधि एक दूसरे को संतुष्ट करने के मक्सद से नेपाली प्रतिनिधियों के साक्षी में उनके कार्यालय में मिले। विवादास्पद तथ्यों पर प्रतिनिध्रियों ने वार्ता की, और अन्ततः निम्नवत निर्णय लिए :

1. सबसे पहले याब्शी हाउस में जमा किए नए शस्त्रों की गणना करके देखना कि इनकी संख्या ठीक है या नहीं। इसके पश्चात याब्शी हाउस में रखे इन शस्त्रों को इसके बाद भी जमा किए जाने वाले शस्त्रों को तिब्बतियों को सौंप देना, तिब्बती प्रौंग गन, नई बनीं फाइव शॉट मैगज़ीन यूशांग गन, नूं छाऊ या मार्टिन हेनरी गन जिनपर तिब्बती चिन्ह् अकित है, तोप, बिना बोल्ट वाली छोटी बड़ी बंदूकें बारुद और कारतूस जो चीनियों के पास हैं शो भंडार-कक्ष में रखे जाएँगे। भंडार कक्ष पर चीनी, तिब्रती और नेपाली प्रतिनिधियों द्वारा सील बंदी की जाएगी और नेपालियों के द्वारा इनकी रक्षा तब तक की जाएगी जब तक चीनी त्रोमो की सीमा (चुम्बी घाटी) पार नहीं कर लेते। इसके बाद तिब्बतियों को इस भंडार कक्ष का हस्तांतरण नेपालियों द्वारा किया जाएगा बदले में उन्हें बाकायदा रसीद दे दी जाएगी।

2. जब तक चीनी ल्हासा में हैं तब तक तिब्बती अपने व्यापारियों से प्रतिदिन भोजन लेकर चीनियों से कीमत लेकर भेजेंगे। यदि कोई तिब्बती पक्ष की तरफ आना चाहे उसे तुंगलिंग से एक पत्र

मिलेगा और यदि तिब्बतियों की तरफ कोई वस्तु छूट गई है तो धारक चाहे चीनी हो या तिब्बती उसे ले सकता है।

3. सूची के अनुसार प्रस्थान करते समय चीनी अधिकारियों व सैनिकों के लिए तिब्बती लोग मालवाहक पशुओं एवं सवारी टट्टूओं की व्यवस्था करेंगे।

(क) तिब्बती चीनियों को (व्यापारियों व्यक्तियों को) 10 टंका पर एक मालवाहक टट्टू एवं 6 टंका पर एक सवारी टट्टू के हिसाब से पशुओं की आपूर्ति करेंगे। यह व्यवस्था एक ज़ोंग से दूसरे ज़ोंग अर्थात जानवरों के बदलने के हर स्थान के हिसाब से होगी।

4. तुंगलिंग व चीनी अधिकारी, सैनिक एवं व्यक्ति ल्हासा से इस महीने की आठवीं (16 दिसम्बर 1913) को चल देंगे। रास्ते में वे तिब्बतियों को सताएँगे या लूटेंगे नहीं और अविलम्ब भारत से होकर (चीन) लौटेंगे।

5. निरीक्षण के स्थलों पर चीनियों के बोरिया-बिस्तर के साथ बोल्ट के इलावा यदि किसी और प्रकार का शस्त्रास्त्र मिला तो तिब्बती सरकार इन पर कब्ज़ा कर लेगी।

6. रास्ते में पड़ाव स्थलों पर तिब्बती लोग चीनियों को उचित मूल्य पर खाद्य की पूर्ति करेंगे।

7. तिब्बतियों ने तिब्बत छोड़कर जा रहे तुंगलिंग, चीनी अधिकारी, सैनिक, व्यापारी, व्यक्ति या तिब्बत में रह रहे चीनी व्यापारी एवं अन्य व्यक्तियों के जानमाल को न लूटने का वादा किया है।

8. यामेन के (पड़ोस) के मकानों को तिब्बतियों को दे दिया जाएगा। पुस्तक में लिखी एक सूची के अनुसार लकड़ी के सन्दूक एव बरतन एक अलग मकान में रखे जाएँगे जिसे चीनी और तिब्बती प्रतिनिधि सीलबंद कर देंगे। तिब्बती इस मकान की देख रेख करेंगे।

9. तेग्येलिंग मठ के धर्मगुरुओं का जहाँ प्रश्न है जब पहली संधि हुई थी परम पूज्य दलाई लामा ने अच्छे व्यवहार करने वाले भिक्षुओं के जीवन की सुरक्षा का वादा किया था। प्रतिनिधि इसी वादे का निरीक्षण व अनुगमन करते हैं।

दोनों पक्ष (चीनी और तिब्बती) उपरोक्त संदर्भ में संतुष्ट और सहमत हो गए हैं ।

(तिब्बती प्रतिनिधि तेजी तिमोन के हस्ताक्षर एवं मुहर)
(केम्पो (प्रोफेसर) त्रुंग यिक चेम्पो, मुख्य सचिव, त्रेपा ग्याल त्सेन के हस्ताक्षर एवं मुहर)
(व्याख्याता केंचुग लोब्सांग ग्यात्सो के हस्ताक्षर व मुहर)
राष्ट्रीय सभा, सेरा, द्रपुंग व गांदेन मठों के हस्ताक्षर व मुहर)
(चीनी प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर व मुहर)
(झा-का-मु-योन-ग्यो-खुन के हस्ताक्षर व मुहर)
(ल्हासा के ली-सी क्वान छा-देल के हस्ताक्षर व मुहर)
(दे-सी-क्वान, का-रा-क्वान के हस्ताक्षर व मुहर)

साक्षी :

ल्हासा में रह रहे नेपाली प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट लाल बहादुर छेत्री के हस्नाक्षर व मुहर)
(दिथ्था कुल प्रसाद उपाध्याय के हस्ताक्षर व मुहर)
से-कुशो- राणा गंभीर सिंह खत्री छेत्री हस्ताक्षर के व मुहर)

नोट्स

स्त्रोत: एफ ओ 535/15 नं 181 इनक्लोज़र 6.

जल-बैल वर्ष (1913) के पहले माह के आठवें दिवस पर तेरहवें दलाई लामा की उद्घोषणा

तिब्बती से अनुवाद

मैं, दलाई लामा, बौद्ध विश्वासों का सर्वज्ञ प्रवक्ता, जिसकी विभूति भगवान बुद्ध के आदेश पर गौरवशाली भारत के द्वारा दी गई आपको संबोधित करता हूं :

मैं तिब्बतियों के सभी वर्गों से संबोधित हूं। गौरवशाली राष्ट्र भारत के भगवान बुद्ध ने बताया कि अवलोकितेश्वर के अवतार प्रारंभ के धार्मिक राजाओं से वर्तमान के वारिस शासकों तक के माध्यम से तिब्बत के कल्याण की देख रेख करेंगे।

मंगोलों के चंगेज़ खान और अल्तन खान, चीनियों के मिंग वंश, मांचूओं के चिग वंश के समय से लेकर अब तक तिब्बत और चीन ने गुरु एवं संरक्षक के आधार पर सहयोग किया है। कुछ बर्षों पूर्व सिचुआन और यूनान के चीनी अधिकारियों ने हमारे क्षेत्र में कॉलोनियाँ बसाने की चेष्टा की। व्यापार के मकसद से उन्होंने मध्य तिब्बत में अपने बहुत से लोग लाकर बसाए। इस कारण यह उम्मीद लेकर मैं अपने कुछ मंत्रियों के साथ भारत तिब्बत सीमा की ओर चल पड़ा कि तार के द्वारा मांचू शासक के सामने यह स्पष्ट करूंगा कि चीनियों और तिब्बतियों के बीच संबध के अस्तित्व का आधार गुरु-संरक्षक संबंध है न कि मालिक और मातहत का सबंध। सीमा के पार आने के अलावा मेरे पास कोई और चारा न था क्योंकि चोनी दल मुझे जीवित या मृत पकड़ने के उद्देश्य से मेरा पीछा कर रहे थे।

भारत आने के बाद मैंने चीनी शासक के पास कई तार भेजे पर मुझे उनके उत्तर पेकिंग के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से देर से मिलते

रहे। उस बीच मांचू शासन का पतन हुआ। तिब्बतियों को मध्य तिब्बत से चीनियों को निकाल बाहर करने का प्रोत्साहन मिला। मैं भी अपने पवित्र देश से अपने हक में पहुंचा और अब मैं पूर्वी तिब्बत के दो-खम् से अत्याचारी चीनी दल को निकालने की कोशिश में हूं। गुरु संरक्षक संबंधों की आढ़ में तिब्बत में कॉलोनियाँ बसाने की चीन की प्रवृति अब आकाश से इन्द्रधनुष की भाँति गायब हो चुकी है। खुशहाली और शांति के समय की फिर से प्राप्ति के बाद मैंने आप सब के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किये हैं जिनका पालन बिना किसी लापरवाही के करना है।

1. बौद्ध विश्वासों को बरकरार रखने में ही विश्व में शांति व खशहाली बहाल की जा सकती है। उस कारण तिब्बत में बौद्ध संस्थाओं जैसे जोखाँग मंदिर, ल्हासा के रेमोचे, साम्ये और दक्षिणी तिब्बत के त्रादुक और तीन महान् मठों का संरक्षण ज़रुरी है।

2. तिब्बत के विभिन्न बौद्ध संप्रदायों का विशुद्ध रुप कायम रखना होगा। बौद्ध धर्म के अध्ययन व इसका ध्यान उचित रुप में करना चाहिए। विशेष व्यक्तियों के अलावा मठों के प्रशासकों को व्यापार, लेन देन या दूसरों के मातहतों को अपने अधीन करने पर प्रतिबंध होगा।

3. तिब्बती सरकार के असैनिक व सैनिक अधिकारियों को नागरिकों से कर वसूली के समय न्याय और ईमानदारी से पेश आना चाहिए जिससे सरकार को भी लाभ हो और नागरिकों को भी हानि न हो। पश्चिमी तिब्बत के न्गारी कोरसम और पूर्वी तिब्बत के दोखम में कार्यरत कुछ सरकारी अधिकारी ऊँची कीमत पर व्यापारिक वस्तुएँ खरीदने को विवश कर रहे हैं। सरकार द्वारा निर्धारित यातायात व्यय भी अधिक लागू किया गया है। नागरिकों के मकान, संपत्ति व भूमि को छोटे मोटे कानून भग करने के आधार पर ज़ब्त किया गया है। सज़ा के रुप में नागरिकों का अगभंग किया जा रहा है। अत: ऐसे कठोर दंडों पर प्रतिबंध होगा।

4. प्राकृतिक स्त्रोतों की दृष्टि से तिब्बत एक धनी देश है पर अन्य देशों की तरह यह वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत नही हैं। हम एक

छोटा, धार्मिक व स्वतंत्र राष्ट्र हैं। शेष विश्व की धारा में बने रहने के लिए हमें अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए। अतीत में विदेशियों द्वारा किए गए आक्रमणों की वजह से हमारे लोगों को कुछ मुशकिलें सहनी पड़ सकती हैं जिसकी उन्हें उपेक्षा करनी चाहिए। अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमें स्वेच्छा से कठिन मेहनत करनी चाहिए। सीमा के निकट रहने वाले हमारे नागरिकों को सजग रहना चाहिए और संदिग्ध क्रिया-कलापों की जानकारी विशेष दूतों के माध्यम से सरकार को देनी चाहिए। छोटी मोटी घटनाओं के कारण हमारे लोगों को दो राष्ट्रों के बीच बड़े झगड़ों को जन्म नहीं देना चाहिए।

5. तिब्बत कम जनसंख्या वाला परन्तु विस्तृत देश है। कुछ स्थानीय अधिकारी व जमींदार ईर्ष्यावश निर्जन ज़मीन के विकास के लिए बाधाएँ खड़ी कर रहे हैं हालाँकि वे स्वयं भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसी प्रवृति के लोग राज्य और हमारी प्रकृति के शत्रु हैं। अब से निर्ज जगह पर खेती करने मे रोकने की किसो को अनुमति नहीं है। तीन वर्ष गुज़रने के पहले कोई भूमि टैक्स नहीं लिया जाएगा, उसके बाद जमीन पर काम करने वालों को ठेके के अनुपात में सरकार व ज़मींदार को कर देना पड़ेगा। ज़मीन उसी की हो जाएगी जो उस पर काम करेगा।

सरकार व लोगों के प्रति आपका फर्ज़ उस समय पूरा होगा जिस समय आप इन कार्यो को पूरा कर लेंगे जो मैंने कहे है। इस पत्र को तिब्बत के हर ज़िले में घोषित करना होगा और रिकार्ड की एक कॉपी जो कार्यालय में रखी है उसे हर ज़िले में रखना होगा।

पोताला महल से
(दलाई लामा की मोहर)

नोट्स

1 स्त्रोत : डब्ल्यू. डी. शाक्बपा "तिब्बतः ए पॉलिटिकल हिस्ट्री" (न्यू हैवेन, 1967) पृष्ठ 246-248.

मित्रता और गठबंधन की संधि

उर्गा में 29 दिसम्बर 1912 (11 जनवरी 1913) को मंगोलिया सरकार और तिब्बत के बीच सम्पन्न हुई।　　　　**(तिब्बती प्रति का अनुवाद)**

मंगोलिया और तिब्बत ने मांचू वंश से मुक्त होकर और चीन से अलग होकर अपने पृथक राज्य बनाए हैं इस बात को ध्यान में रखकर कि अतीत से दोनों ने एक ही धर्म का पालन किया है, ऐतिहासिक और परस्पर सहयोग की भावना को सुदृढ़ करने के लिए मगोलों के शासक के महादूत के रुप में विदेश मन्त्री निवता बिलिक्तु दा-लामा राब्दान, और सहायक मन्त्री, जनरल और मनलाई बात्यर बीस्हे दामदीनसुरुन और दलाई लामा, तिब्बत के शासक के महादूत के रुप में गुदजिर छानशिब कांचेन, लुब्साङ अग्वान, डोनिर अग्वान, छोंजेन इशिछामात्सो बैंक के निर्देशक और वलर्क गेन्दन गाल्सन ने निम्नलिखित प्रस्तावना बनाई :-

धारा एक :- तिब्बत के शासक दलाई लामा स्वतन्त्र राज्य के रुप में मंगोल राज्य को वैधता एवं मान्यता देते हैं एवं सूअर वर्ष के ग्यारहवें माह के नवें दिन पीले समुदाय के छेब्जुन दाम्बा लामा को राष्ट्र के शासक के रुप में घोषित करते हैं।

धारा दो :- मंगोलों के शासक छेब्जुन दाम्बा लामा भी स्वतन्त्र राज्य के रुप में तिब्बत को वैधता एवं मान्यता देते हैं तथा दलाई लामा को तिब्बत के शासक के रुप में घोषित करते हैं।

धारा तीन :- दोनों राज्य बौद्ध धर्म के कल्याण के लिए संयुक्त समझ-बूझ से कार्य करेंगे।

धारा चार :- अब से लेकर तिब्बत और मंगोल दोनों राज्य बाहरी खतरों के खिलाफ एक दूसरे की मदद करेंगे।

धारा पांच :- धर्म या राज्य के मसले पर राजकीय या निजी रुप से यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति को हर राज्य अपने क्षेत्र में सहायता प्रदान करेगा।

धारा छः : तिब्बत और मंगोलिया, दोनों राज्य पहले ही की तरह अपने यहां के उत्पादों पशुओं आदि के व्यापार में संलग्न होंगे और औद्योगिक प्रतिष्ठान भी खोलेंगे।

धारा सात : अब से राजकीय संस्थाओं की जानकारी में इनकी अनुमति से किसी को भी ऋण दिया जाएगा। इनकी अनुमति के बिना राजकीय संस्थाएँ किसी प्रकार के दावे नहीं सुनेंगी।

वर्तमान संधि से पूर्व किए गए ऐसे किसी भी करार में जहाँ दोनों पार्टियाँ के प्रत्यक्ष संपर्क में न आने की वजह से काफी हानि हुई तो उन की क्षतिपूर्ति राजकीय संस्थाओं द्वारा की जाएगी पर किसी भी हालत में ऐसे ऋण 'शाबिनार' या 'खोशुन' से सम्बन्धित न होंगे।

धारा आठ :- वर्तमान संधि की धाराओं की शेषपूर्ति हेतु यदि आवश्यक हुआ तो मंगोल और तिब्बत सरकार विशेष प्रतिनिधियों की व्यवस्था करेंगी जो वक्त की मांग के अनुरूप ऐसे प्रस्तावों का निष्कर्ष पेश करेंगे।

धारा नौ :- हस्ताक्षर होने की तिथि से ही वर्तमान संधि लागू हो जाएगी।

संधि के निष्कर्ष हेतु मंगोल सरकार के महादूत: निक्ता बिलिक्तु दा लामा रबदान, विदेश मन्त्री और जनरल तथा मनलाई बात्यर वीस्हे दामदिनसुरुन सहायक मन्त्री।

संधि के निष्कर्श हेतु तिब्बत के शासक दलाई लामा के महादूत: तिब्बत इशिछामात्सो बैंक के निर्देशक गुडजिर शानशिब काँचेन लुब्साङ अग्वान छोंजन और क्लर्क गेन्दन गाल्सन।

मंगोल (गणना के अनुसार) हस्ताक्षर "रेज़ड बाई द मेनी" द्वितीय वर्ष के बारहवें माह के चौथे दिन और तिब्बती गणना के मुताबिक जल-मूशक वर्ष के बारहवें माह के चौथे दिन को हुए।

नोट्स :-

1. स्त्रोत: एफ ओ 535/16 नं. 88 इनक्लोज़र 1. 1913

3 जुलाई 1914 की ब्रिटिश तिब्बती घोषणा

हम ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के महादूत इस आशय के घोषणा पत्र को यहां रेकॉर्ड करते हैं कि हम संयुक्त रुप से हस्ताक्षरित हुए उस घोषणा पत्र की जिस पर ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत की सरकार ने हस्ताक्षर किए सत्यता की स्वीकार करते हैं और उस बात पर सहमत होते हैं कि ऐसी प्रर्वोक्त प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने को जब तक चीन सहमत नहीं होता तब तक इस घोषणा से मिलने वाले लाभों के उपयोग से वह वंचित रहेगा।

इसलिए हमने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए एवं मुहर लगाए हैं। दो कॉपी अंग्रेज़ी एवं दो कॉपी तिब्बती भाषा में है।

3 जुलाई 1914 ईसवी, तिब्बती गणना के अनुसार काठ-चीता वर्ष के पाँचवें माह के दसवें दिन को शिमला में किया गया।

ए. हेनरी मैकमोहन
ब्रिटिश महादूत
(ब्रिटिश महादूत की मुहर)
(दलाई लामा की मुहर)
(लोंचेन शात्रा का हस्ताक्षर)

(लोंचेन शात्रा की मुहर)
(ड्रेपुंग मठ की मुहर)
(सेरा मठ की मुहर)
(राष्ट्रीय सभा की मुहर)
(गांदेन मठ की मुहर)

नोट्स

1. स्त्रोत: क्राउन कॉपीराइट दस्तावेज़ एफ ओ 535/17 न. 231 इनक्लोज़र 7, भ रतीय रेकॉर्ड कार्यालय के और पब्लिक रेकॉर्ड कार्यालय के क्राउन कॉपीराइट दस्तावेज़

ग्रेट ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच का घोषणा पत्र, शिमला 1914

3 जुलाई 1914 के ब्रिटिश तिब्बती घोषणा पत्र से संयोजित

यूनाइटिड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं आयरलैंड के राजा, समुद्रों के पार ब्रिटिश प्रभुत्व वाले इलाकों के व भारत के शासक, चीनी गणतंत्र के राष्ट्रपति और तिब्बत के परमपूज्य दलाई लामा ने एशिया महाद्वीप के विभिन्न राज्यों में अपने हितों को सुलझाने के लिए और विभिन्न सरकारों के बीच संबंधों के संचालन हेतु उस विषय पर परस्पर सहमति से एक प्रतिज्ञा पत्र जारी करने का और इस मकसद के लिए अपने अपने महादूतों के मनोनयन का निर्णय किया है, कहना ये है :

यूनाइटिड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के राजा, समुद्रों के पार ब्रिटिश प्रभुत्व वाले क्षेत्रों के शासक, भारत के शासक, सर आर्थर हेनरी मैकमोटन, रॉयल विक्टोरियन ऑर्डर के नाईट ग्रांड क्रॉस, भारतीय साम्राज्य के सर्व श्रेष्ठ अलंकरण नाईट कमांडर, स्टार ऑफ इंडिया का सबसे प्रशंसनीय ऑर्डर, भारत सरकार के विदेश एवं राजनीतिक विभाग के सचिव ;

चीनी गणतंत्र के राष्ट्रपति श्रीमान इवानचेन, चिया हो के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ।

तिब्बत के परम पूज्य दलाई लामा, लोंचेन गा देन शात्रा पाल-जोर दोरजे जिन्होंने परस्पर एक दूसरे को पूर्ण अधिकार दिए और उन्हें बेहतर स्थिति में पाकर ग्यारह धाराओं के निम्नलिखित प्रतिज्ञापत्र पर सहमत हुए हैं ।

धारा एक : सूची में वर्णित प्रतिज्ञाऐं सिर्फ उन प्रतिज्ञाओं को छोड़ कर जिनमें कुछ परिवर्तन हुए हैं या जो कुछ असंगत एवं प्रतिकूल हो सकती हैं उच्च सविदा दलों के मध्य सेतुबंध का कार्य करेंगी।

धारा दो : ग्रेट ब्रिटेन और चीन की सरकार यह मानती है कि तिब्बत पर चीन का अधिपत्य है परन्तु बाहरी तिब्बत की स्वायतत्ता को स्वीकार करती है, राष्ट्र की क्षेत्रिय अखंडता का सम्मान करते हुए बाह्य तिब्बत के प्रशासन (दलाई लामा के चुनाव व राज्याभिषेक समेत) में किसी प्रकार के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करती है। यह ल्हासा में तिब्बती सरकार के अधीन का ही विषय होगा।

चीन सरकार तिब्बत को चीनी प्राँत के रूप में नहीं बदलने को प्रतिबद्ध है। ग्रेट ब्रिटेन की सरकार तिब्बत या इसके किसी हिस्से के संयोजन नहीं करने को प्रतिबद्ध होती है।

धारा तीन : भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में तिब्बत में ग्रेट ब्रिटेन के हितों को दृष्टिगत रखते हुए, तिब्बत में एक प्रभावकारी सरकार की उपस्थिति में, भारत और अन्य सटे हुए राज्यों से शांति व भाईचारा कायम रखने के लिए चीन इस बात के लिए प्रतिबद्ध होता है कि वह बाहरी तिब्बत में सेना नहीं भेजेगा, न सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को पदस्थापित करेगा और न उस देश में चीनी कॉलोनियां बसाएगा। प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर होने की घड़ी तक यदि बाहरी तिब्बत में चीनी सेना या अधिकारी मौजूद हैं तो उन्हें तीन माह के अन्दर ही वापस बुला लिया जाएगा।

ग्रेट ब्रिटेन की सरकार भी प्रतिबद्ध होती है कि वह तिब्बत में सैनिक, असैनिक अधिकारिओं को नियुक्त नहीं करेगी (7 सितम्बर 1904 के ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच के प्रतिज्ञापत्र में वर्णित सुविधाओं के अलावा) न सेना भेजेगी (अनुचर दूतों को छोड़ कर) न इस देश में कलोनियां ही बसाएगी।

धारा चार : छोड़े गए सूत्रों को उस व्यवस्था के परिचालन से पृथक नहीं रखा जाएगा जिसके अनुसार एक उच्चस्तरीय चीनी

अधिकारी ल्हासा में काफी संख्या में अनुचरों के साथ पदस्थापित था। बल्कि व्यवस्था ये की जाती है कि किसी हालत में ऐसे अनुचर 300 से अधिक न होने पाएँ।

धारा पांच : 7 सितंबर 1904 को ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य के प्रतीज्ञापत्र तथा अप्रैल 27, 1906 के ग्रेट ब्रिटेन तथा चीन के प्रतिज्ञापत्र में वर्णित पारस्परिक वार्ता के अनुबधों के आधार पर तिब्बत या चीन की सरकार आपस में या किसी और ताकत के साथ तिब्बत सम्बन्धी वार्ता या सन्धि नहीं करने को कटिबद्ध होती हैं।

धारा छः ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच के 27 अप्रैल 1906 के प्रतीज्ञापत्र की धारा तीन को रद्द किया जाता है और घोषित किया जाता है कि 7 सितंबर 1904 के ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच संधि से संबंधित प्रतिज्ञापत्र में "विदेशी ताकत" का विशेषण चीन पर लागू नहीं होगा।

चीन या अन्य प्रमुख राष्ट्रों की अपेक्षा ग्रेट ब्रिटेन के साथ वाणिज्य का मूल्यांकन कम करके नहीं देखा जाएगा।

धारा सात (ए) : 1893 व 1908 की तिब्बत व्यापार नियमावली रद्द की जाती है।

(बी) : 7 सितंबर 1904 के ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच के प्रतिज्ञापत्र की धारा दो, चार और पांच को प्रभावकारी बनाने के लिए अविलंब बाह्य तिब्बती क्षेत्र के विषय में ग्रेट ब्रिटेन के साथ बातचीत कर नई व्यापारिक नियमावली बनाने को ग्रेट ब्रिटेन उद्यत होती है, साथ ही यह व्यवस्था भी की जाती है कि चीन सरकार की सहमति के बिना ऐसी नियमावली किसी भी कोण से वर्तमान प्रतिज्ञापत्र में फेरबदल नहीं करेगी।

धारा आठ : ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच हुए 7 सितंबर 1904 के संधिपत्र के किसी तथ्य को लेकर किसी असहमती की स्थिति हो और ऐसा लगे कि ग्यांत्से के द्वारा पत्राचार या अन्य किसी तरीके से सुलझाया नहीं जा सकता तो ग्यांत्से में रह रहे ब्रिटिश दूत अपने अनुचर के साथ ल्हासा आकर सरकार से संपर्क कर सकते हैं।

धारा नौ : वर्तमान प्रतिज्ञापत्र के इस्तेमाल के लिए तिब्बत की सीमाएँ, भीतरी और बाहरी तिब्बत के बीच की सीमा नक्शे में क्रमश: लाल और नीले रंगों में प्रदर्शित है, जो यहां संलग्न है।

भीतरी तिब्बत में तिब्बती सरकार के अधिकारों के संबंध में वर्तमान प्रतिज्ञापत्र कोई अन्याय नहीं करेगा। मठों के उच्चस्थ पुजारियों के चयन व नियुक्ति का एवं धार्मिक सस्थाओं से संबंधित तथ्यों पर नियंत्रण का पूरा अधिकार तिब्बती सरकार के पास कायम रहेगा।

धारा दस : इस प्रतिज्ञापत्र के अंग्रेज़ी, चीनी और तिब्बती संस्करणों की जांच कर ली गई है और इसे संचार के योग्य पाया गया है, परन्तु अर्थ को लेकर यदि उनके मध्य विवाद हो तो अंग्रेज़ी संस्करण को अधिकारिक माना जाएगा।

धारा ग्यारह : हस्ताक्षर होने की तिथि से ही यह प्रतिज्ञापत्र लागू माना जाएगा।

जिन उद्येश्यों हेतु संबंधित महादूतों ने हस्ताक्षर किए तीन कॉपी अंग्रेज़ी में, तीन चीनी में, तीन तिब्बनी में हैं।

यह समझौता शिमला में 3 जुलाई 1914 ईस्वी को, चीनी तिथि के मुताबिक गणतंत्र के तीसरे वर्ष के सातवें माह के तीसरे दिवस और तिब्बती तिथि के हिसाब से जल-चीता वर्ष के पांचवें माह के दसवें दिन किया गया।

लोंचेन शात्रा के हस्ताक्षर
लोंचेन शात्रा की मुहर

ए. एच. एम.
ब्रिटिश महादूत की मुहर

सूची

1. सिक्किम और तिब्बत से संबन्धित कलकत्ता में 17 मार्च 1890 को ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच जारी प्रतिज्ञापत्र।

2. 7 सितंबर 1904 को ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच का ल्हासा में हस्ताक्षर किया गया प्रतिज्ञापत्र।

3. 27 अप्रैल 1906 को तिब्बत के संबंध में ग्रेट ब्रिटेन व चीन के बीच पेकिंग में हस्ताक्षर किया गया प्रतिज्ञापत्र जिसमें तिब्बत के अस्तित्व के प्रति आदरभाव व्यक्त किया गया।

विनिमय किए गए नोट्स निम्नलिखित हैं :-

1. संविदा के उच्च पक्षों द्वारा धारणा बनाई जाती है कि तिब्बत चीनी क्षेत्र का अंग है।

2 तिब्बती सरकार द्वारा दलाई लामा के चयन एवं राज्याभिषेक के उपरान्त तिब्बती सरकार राज्याभिषेक की सूचना चीन सरकार को देगी और तब ल्हासा में चीन सरकार का प्रतिनिधि चीन सरकार द्वारा प्रस्तावित निर्देशों के मुताबिक परम पूज्य दलाई लामा को औपचारिक रुप से पूर्ण सम्मान के साथ उनको विभूति प्रदान करेगा।

3 यह भी समझा जाता है कि बाह्य तिब्बत में भी अधिकारियों के चयन व नियुक्ति का हक तिब्बती सरकार को होगा।

4 चीनी संसद में या समकक्ष अन्य स्थानों पर बाह्य तिब्बत का प्रतिनिधित्व नही होगा।

5 यह भी समझा जाता है कि ब्रिटिश व्यापारिक एजेंसियों से जुड़े अनुचरों की संख्या ल्हासा में चीनी प्रतिनिधियों के कुल के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

6 चीन सरकार को 17 मार्च 1890 को ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच हुए प्रतिज्ञापत्र के धारा तीन के उस अनुबंध से मुक्त किया जाता है जिसके अन्तर्गत चीन को तिब्बत-सिक्किम-सीमा के तिब्बती क्षेत्र में आक्रामक कारवाईयों की रोक करनी थी।

7 जैसे ही धारा तीन में वर्णित शर्तों की पूर्ती तीनों पक्षों की पूर्ण सन्तुष्टी अनुसार होगी, धारा चार में वर्णित चीनी अधिकारी तिब्बत में बेरोकटोक जा सकेंगे। अपनी रिर्पोट वे अविलम्ब देंगे।

लोंचेन शात्रा के हस्ताक्षर
लोंचेन शात्रा की मुहर

हस्ताक्षर (ए. एच. एम.)
ब्रिटिश महादूत की मुहर

भारत-तिब्बत फ्रंटियर 1914 : ब्रिटिश व तिब्बती महादूतों के बीच नोट्स विनिमय

तिब्बती महादूत लोंचेन शात्रा को :

गत फरवरी में आपने स्वीकारा था कि भारत तिब्बत सीमा इसुराज़ी दर्रे से लेकर भूटान फ्रंटियर तक है जैसा कि नक्शे में दिया गया है, इसकी दो प्रतियां आपकी सरकार की स्वीकृति के लिए और निम्नलिखित शर्तों के साथ संलग्न हैं :

1. सीमा पर ब्रिटिश पक्ष में स्थित निजी तिब्बती संपत्तियों को किसी प्रकार छेड़ा नहीं जाएगा।

2. ब्रिटिश पक्ष की सीमा में पड़ने वाले त्सो कारपो और त्सारी सारपा के पवित्र स्थलों को तिब्बती क्षेत्र में और तदनुसार परिवर्तित सीमा में शामिल किया जाएगा।

मैं समझता हूं कि उपरोक्त दो स्थितियों के सीमा विषय पर आप की सरकार सहमत हो गई है। इस तथ्य को आपकी तरफ से निश्चित रुप से जानकर मुझे खुशी होगी।

आपने जानने की इच्छा की थी कि त्सोना जोंग, कोंग्ब् और खम में मोंपा और लोपा लोगों को बेचे गए माल के बकाया की अदायगी जो तिब्बती सरकार के द्वारा एकत्र की गई क्या अब भी एकत्र की जाएगी ? श्रीमान बेल ने आपको सूचना दी की आप जब उन्हें बाकी की सूचना देंगे, उन्होंने वायदा किया है कि ऐसे मसलों को दोस्ताना ढंग से निपटाया जाएगा।

भारत तिब्बत सीमा का यह अंतिम हल भविष्य में विवादों को

रोकने में सहायक होगा और दोनों सरकारों के हितों का विषय बनने से न चूकेगा।

ए. एच. मैकमोहन
ब्रिटिश महादूत, दिल्ली
24 मार्च 1914 [अनुवाद]

ब्रिटिश महादूत सर हेनरी मैकमोहन को

चीन तिब्बत अधिवेशन का संदर्भ :

जैसे कि इस बात का भय था कि भारत और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारित न होने पर भविष्य में तनाव हो सकता है, आपने फरवरी के अंत में मुझे जो नक्शा प्रेषित किया था उसे मैंने आदेश हेतु ल्हासा में तिब्बती सरकार को भेजा था। मुझे ल्हासा से आदेश प्राप्त हो गए हैं और आपके द्वारा हस्ताक्षर किए गए नक्शे की दो प्रतियों में लाल रंग से रेखांकित सीमा मे मैं सहमत हूं जो श्रीमान बेल के मार्फत मुझ तक पहुंचाए गए 24 मार्च के आपके पत्र के साथ हैं। मैंने नक्शे की दो प्रतियों पर हस्ताक्षर व मुहर लगा दिए हैं। एक कॉपी मैंनें रख ली है और दूसरी यहां लौटा रहा हूं।

तिब्बती महादूत लोंचेन शात्रा द्वारा काठ-चीता-वर्ष के पहले माह के उनतीसवें दिवस (25 मार्च 1914) को प्रेषित।

लोंचेन शात्रा की मुहर

नोट्स

1. इन नोट्सि में जिस नक्शे का हवाला दिया गया है उसका प्रकाशन "एन एटलस ऑफ द नारदर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया", में हुआ जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 जनवरी 1960 को जारी किया गया।

2. **स्रोत:** भारतीय ऑफिस रेकार्डस का क्राउन कॉपीराइट दस्तावेज़ एल/पी और एस/10/343 भारतीय ऑफिस रेकॉर्डस व पब्लिक रेकार्ड ऑफिस क्राउन कॉपीराइट दस्तावेज़।

केन्द्रीय जनताँत्रिक सरकार तथा तिब्बत की स्थानीय सरकार के बीच तिब्बत की शान्तिपूर्ण मुक्ति हेतु लिये जाने वाले उपायों पर समझौता ! 23 मई 1951

चीनी सीमाओं के भीतर तिब्बती राष्ट्रीयता कई राष्ट्रीयताओं में से एक है जिसका लम्बा इतिहास है। इसने महान् मातृभूमि के निर्माण तथा विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया है। परन्तु पिछले सौ वर्षों से अधिक समय से साम्राज्यवादी शक्तियां चीन में प्रवेश करती रहीं परिणाम स्वरुप ये तिब्बत में भी घुस आए तथा धोखाघड़ी और भड़काने वाले कृत्य करना आरम्भ कर दिया। पिछली प्रतिक्रिया वादी सरकारों की भांती के०एम०टी० प्रतिक्रियावादी सरकार ने राष्ट्रीयताओं के बीच कठोरता और मतभेद बनाए रखने की निति जारी रखी ताकि तिब्बती लोगों में मतभेद व पृथकता बनी रहे। तिब्बत की स्थानीय सरकार ने साम्राज्यवादी धोखे और भड़काऊ कृत्यों का विरोध नहीं किया परन्तु अपनी मातृभूमि के प्रति बेईमानी का दृष्टीकोण अपनाया। ऐसी परिस्थिति में तिब्बती राष्ट्रीयता और लोग गुलामी और कष्टों के अथाह सागर में डूब गए सन् 1949 में राष्ट्रीय-स्तर पर चीन के जनवादी आक्रमण के परिणामस्वरुप तिब्बत-मुक्ति-आन्दोलन सफल हुआ और सभी राष्ट्रवादियों के आंतरिक शत्रु **K.M.T.** की प्रतिक्रियावादी सरकार को हरा दिया गया; सभी राष्ट्रवादियों के आम विदेशी शत्रुओं आक्रामक साम्राज्यवादी ताकतों को निकाल बाहर किया गया। इस बुनियाद पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एवं सेन्ट्रल पीपुल्स गवर्नमेंट की स्थापना की घोषणा हुई। चीनी जनवादी राजनीतिक सलाहकार परिषद के अनुसार केन्द्रीय जनवादी सरकार ने घोषणा की कि

ीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाईना की अपनी सीमाओं में सभी राष्ट्र समान हैं और यह कि वे एकता और परस्पर सहयोग की स्थापना करेंगे, साम्राज्यवाद एव अपने सार्वजनिक शत्रुओं का विरोध करेंगे ताकि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अपने समस्त राष्ट्रवादियों समेत भ्रातृत्व एवं सहयोग से परिपूर्ण एक वृहत राष्ट्रीय परिवार बन सकें। चीनी जनवादी गणतन्त्र के इस बड़े परिवार में उन क्षेत्रों को जहां राष्ट्रीय अल्पसंख्यकता है क्षेत्रीय स्वायतता प्रदान की जाएगी। सभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को अपने लिखित एवं बोलने वाली भाषाओं के विकास की स्वतत्रता होगी, अपने रीति, रिवाज, धार्मिक विश्वासों के संरक्षण एव सुधार की स्वतंन्त्रता होगी और केन्द्रीय जनवादी सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को अपने राज-नीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एव शैक्षणिक रचनात्मक कार्यो के विकास हेतु सहयोग देगी। तब से तिब्बत और ताइवान के क्षेत्र में रह रहे राष्ट्रवादियों के अलावा सभी ने आज़ादी का उपभोग किया है। चीनी जनवादी सरकार के एकीकृत नेतृत्व के और जनवादी सरकार के ऊंचे स्तर के प्रत्यक्ष नेतृत्व के तहत सभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का उपभोग किया है और राष्ट्रीय क्षेत्रवादी स्वायतता का उपभोग कर रहे हैं। तिब्बत से आक्रामक साम्राज्यवादी ताकतों को खत्म करने के लिये, क्षेत्र का एकीकरण व चीन के जनवादी गणतंत्र की संप्रभुता की प्राप्ति के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा की मज़बूती के लिये, अन्य राष्ट्रीवादियों की तरह तिब्बतियों को भी आज़ाद किया जा सकता है ताकि वे भी चीनी जनवादी गणतंत्र के वृहत परिवार में राष्ट्रीय समानता के सभी अधिकारों का उपभोग कर सकें और राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक कार्यों का विकास कर सकें। केन्द्रीय जनवादी सरकार ने जनवाहिनी सेना को तिब्बत में मार्च करने का आदेश दिया, तिब्बत की स्थानीय सरकार को तिब्बत में शांतिपूर्ण मुक्ति की बहाली हेतु वार्ता करने को प्रतिनिधि भेजने की सूचना दी। अप्रैल 1951 के उत्तराई में पूर्ण अधिकार युक्त तिब्बती स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि पेकिंग पहुंचे। तिब्बत के इन प्रतिनिधियों से दोस्ताना बातचीत के लिए चीनी जनवादी सरकार ने भी पूर्ण अधिकार युक्त प्रतिनिधि नियुक्त किए। वार्ता का परिणाम है कि दोनों पार्टियों

प्रस्ताव की स्थापना और यह आश्वासन देने हेतु कि उसका क्रियान्वयन होगा सहमत हुई हैं

1. तिब्बती लोग एक होंगे और तिब्बत से आक्रामक साम्राज्यवादी ताकतों को खदेड़ेंगे; तिब्बती लोग मातृभूमि के वृहत परिवार चीनी जनवादी गणतंत्र में लौटेंगे।

2. राष्ट्रीय सुरक्षा की बहाली हेतु तिब्बत में जनमुक्ति वाहिनी के प्रवेश को तिब्बत की स्थानीय सरकार मदद देगी।

3. चीनी लोगों की राजनीतिक सलाहकार समिति की योजना के मुताबिक तिब्बतियों को भी चीन की जनवादी केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में क्षेत्रीय स्वायत्तता के उपभोग का हक होगा।

4. केंद्रीय सत्ता, तिब्बत की राजनीतिक व्यवस्था, दलाई लामा की प्रतिष्ठित छवि, अधिकार व कार्यों में फेरबदल नहीं करेगी और विभिन्न पदों पर नियुक्त अधिकार पूर्ववत कायम रहेंगे।

5. पांचेन लामा को प्रतिष्ठित छवि, अधिकार व कार्यों को बहाल रखा जाएगा।

6. दलाई लामा और पांचेन लामा की प्रतिष्ठित छवि, अधिकार व कार्यो से तात्पर्य तेरहवें दलाई लामा और नवें पांचेन लामा की छवि अधिकारों व कार्यों से है जब इनके सम्बन्ध दोस्ताना थे।

7. चीनियों की राजनीतिक सलाहकार समिति योजना में जिन धार्मिक विश्वासों की बात कही गई है उन्हें संरक्षण दिया जाएगा। केन्द्रीय सत्ता मठों की आमदनी में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं करेगी।

8. तिब्बती फौज चीन की जनमुक्ति वाहिनी का अँग समझी जाएगी और राष्ट्रीय सुरक्षा बल के रुप में केंद्रीय जनवादी सरकार का अंग बनेगी।

9. तिब्बत की वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार ही तिब्बत की बोलचाल व लिखाई की भाषा एवं राष्ट्रवाद का विकास होगा।

10. तिब्बती कृषि, संग्रहण, उद्योग व वाणिज्य का क्रमिक विकास होगा और तिब्बत की वास्तविक परिस्थितियों के हिसाब से ही तिब्बतियों की जीविका का विकास होगा।

11. तिब्बत में विभिन्न प्रकार के सुधारों के प्रश्न पर केन्द्रीय सत्ता किसी दबाव का इस्तेमाल नहीं करेगी। तिब्बत की स्थानीय सरकार को अपने हिसाब से सुधार करने चाहिएं और जब लोग सुधार के लिए आवाज़ उठाएँ तिब्बत के स्तरीय अधिकारीयों से संपर्क के द्वारा इसका समाधान होना चाहिए।

12. जब तक जिस प्रकार से पूर्व साम्राज्यवादी एव प्रो-के.एम. टी. अधिकारी दृढता से साम्राज्यवाद एवं के. एम. टी. से संबंधों को पृथक रखते आए हैं और प्रतिरोध एवं तोड़फोड़ में हिस्सा नहीं लिया है उन्हें अतीत से बेफिक्र हो उनके पदों पर रहने दिया जाएगा।

13. तिब्बत में प्रवेश करने वाली जनमुक्ति वाहिनी ऊपर वर्णित नीतियों से पृथक रहेगी और हर प्रकार के क्रय विक्रय में ईमानदार रहेगी और दलाली के रुप में लोगों से सूई या धागा के बराबर तक कुछ न लेगी

14. केन्द्रीय जनवादी सरकार तिब्बती क्षेत्र के सभी बाहरी मामलों को संचालित करेगी। पढ़ोसी राष्ट्रों से शांतिपूर्ण सद्भाव कायम रखा जाएगा और समानता, पारस्परिक लाभ एवं एक दूसरे के क्षेत्र एवं सप्रभुता के सम्मान को ध्यान में रखकर वाणिज्यिक एवं व्यापारिक संबंध कायम किए जाएँगे।

15. प्रस्तावना में वर्णित तथ्यों के क्रियान्वयन की तसल्ली हेतु केंन्द्रीय जनवादी सरकार तिब्बत में एक सैनिक व प्रशासकीय समिति का गठन करेगी और मुख्य सैनिक क्षेत्रिय कार्यालय की स्थापना करेगी और केंद्रीय जनवादी सरकार से अधिकारियों को भेजने के अलावा कार्य

संपादन हेतु तिब्बत की स्थानीय सरकार में से भी कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। सैनिक और प्रशासकीय समिति के लिए कार्य करने वाले स्थानीय तिब्बती अधिकारियों में तिब्बत की स्थानीय सरकार के राष्ट्रवादो तत्व, विभिन्न ज़िलों और प्रमुख मठों के लोग हो सकते हैं; नामों की सूची केंद्रीय जनवादी सरकार के प्रतिनिधि एव विभिन्न हेडक्वाटर्स से बातचीत से ही बनेगी और इनको अनुमोदन हेतु केंद्रीय जनवादी सरकार के पास भेजा जाएगा।

16. सैनिक और प्रशासकोय समिति, सैनिक क्षेत्र हेडक्वाटर्स एवं तिब्बत में प्रवेश करने वाली जनमुक्ति वाहिनी के रख रखाव पर होने वाले खर्च का वहन केंद्रीय जनवादी सरकार करेगी। जनमुक्ति वाहिनी को भोजन, चारा और दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुओं की खरीद एवं परिवहन में तिब्बत की स्थानीय सरकार मदद करेगी।

17. यह प्रस्तावना उस पर मुहर और हस्ताक्षर होने के तुरन्त बाद से लागू हो जाएगी।

केन्द्रीय जनवादी मरकार द्वारा पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों द्वारा हस्नाक्षरित व मुहरबद्ध.

मुख्य प्रतिनिधिः—ली वी हान (राष्ट्रवादी मसलों के कमीशन के अध्यक्ष)

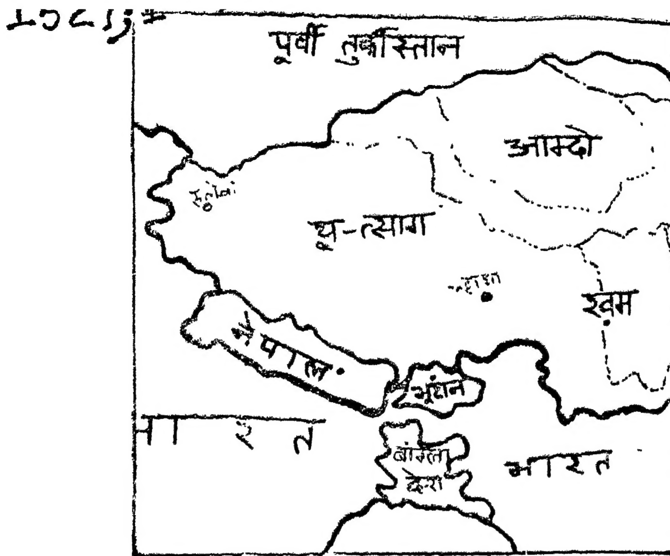
प्रतिनिधिगणः चांग चिंग-वू, चांग कुओ हुआ, सुन चिह - युआन तिब्बत की स्थानीय सरकार के पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिगण :

मुख्य प्रतिनिधिः कालन न्गाबो न्गावाङ जिग्मे (न्गाबो शापे)

प्रतिनिधिगणः छासाक खेमे सोनम वांग्दी, खेंत्रुंग थुप्तेन, तेन्थर खेनचुंग, थुप्तेन लेक्मुन रिम्शी, सैम्पोज़े तेनज़िन ठुन्दुप।

नोट्स

स्त्रोतः यूनियन रिसर्च इनस्टीच्यूट, तिब्बत 1950-1967 (हांगकांग 1968) डॉकुमेंट 6 पृष्ठ 19-23।



(पृष्ठ 2 का शेष)

धोखे या षड्यन्त्र की किसी भी स्थिति में इस सन्धि को निष्क्रय/खारिज नहीं माना जाएगा।

इस प्रकार तिब्बत तथा चीन के शासकों ने, मन्त्रियों ने इस सन्धि को स्थाई रखने की शपथ ली। सन्धि के विवरणों पर दोनों राजाओं ने अपनी राजमुद्राएं/मुहर अंकित कीं। जिन मंत्रियों ने इस सन्धि को रचने में भाग लिया उन्होंने अपने हस्ताक्षर किये तथा सन्धि की प्रतियों को अपने अभिलेखागारों में दाखिल किया तथा पाषाण-स्तूपों पर अंकित किया गया।

नोट्स

स्त्रोत : एच. इ. रिचर्डसन, "दि साइनो-तिबतेन ट्रिअटी इन्सक्रिप्शन आफ एडी 821/23 एट ल्हासा" 2 (1978) पृष्ठ 153-154। तिब्बती तथा चीनी विवरणों के अन्य अनुवाद L/P & S/10/343 में देखे जा सकते हैं। "प्रोसीडिंग्ज ऑफ दी थर्ड मीटिंग ऑफ दि तिब्बत कान्फ्रेंस एट दिल्ली ऑन 12 जनवरी 1914," इन्कलोज़र 2, "तिबेतन स्टेटमैंट ऑन दि लिमिट्स ऑफ तिब्बत," दस्तावेज़ नं० 1 से 7।